न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर
पीठासीन अधिकारी – श्री रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

म्यूटेशन अपील सं. – 01/2017

अपीलान्ट –

1. आशाराम पुत्र घासीराम
2. नेनाराम पुत्र कुनाराम
   जाति–जाट, निवासी–मेरवास, तहसील–जायल जिला–नागौर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट –

1. बस्तीराम पुत्र कुनाराम जाति जाट निवासी मेरवास तहसील–जायल जिला–नागौर।
2. ग्राम पंचायत धारणा जरिये सरपंच तहसील जायल

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 724 दिनांक 05.07.2017 ग्राम पंचायत धारणा पंचायत समिति जायल

1. अधिवक्ता श्री मुन्नीलाल कड़वासरा, एच.आर. मण्डा अपीलान्ट की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

दिनांक : 31/03/2024

– : : निर्णय : :–

नामान्तकरण अपील का सक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने जरिये अधिवक्ता नामान्तरकरण अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 2 के ग्राम पंचायत धारणा पंचायत समिति जायल द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 724/05.07.2017 के संबंध में पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी मौजा मेरवास तहसील जायल के खसरा नं. 14 ,202, 208, 370, 372, 123 अपीलान्ट के पुश्तैनी कब्जे काश्त एवं सहखातेदारी की भूमि है जिस हेतु न्यायालय हाजा में राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया है जो कि विचाराधीन है एवं उक्त वाद के धारा 212 आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 59/2013 प्रस्तुत किया गया जिसका निर्णय दिनांक 09.07.2014 को किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी/अप्रार्थी कुनाराम ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष में अपील संख्या 154/2014 प्रस्तुत की, जो माननीय न्यायालय में आजदिन विचाराधीन है।

इसके उपरान्त न्यायालय हाजा द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 59/2013 को पुनः निर्णय करते हुये दिनांक 25.05.2017 को खारिज कर दिया। जिससे

31/03/2024
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

व्यथित होकर पुनः अपीलान्ट ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जिसमें आदेश 30.06.2017 को पारित किये गये। उक्त अपील के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष निगरानी 3920/2017 आशाराम बनाम कुनाराम, बस्तीराम पेश करने पर स्थगन आदेश 06.07.2017 को पारित कर वादग्रस्त भूमि को हस्तान्तरण, बैचान, दानपत्र नहीं करने तथा राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् जारी किये गये।

उक्त स्थगन आदेश के बावजूद कुनाराम द्वारा जरिये पंजीबद्ध दानपत्र के दिनांक 04.06.2013 के रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा मिलीभगत करके गैर कानूनी तौर पर उक्त नामान्तकरण संख्या 724 ग्राम पंचायत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बस्तीराम के पक्ष में स्वीकृत किया गया। जिससे व्यथीत होकर अपीलान्ट द्वारा उक्त नामान्तकरण अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है –

1. नामान्तरण संख्या 724 राजस्व रिकॉर्ड, मिसल पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्य के विपरित होने से निरस्त किया जावे।
2. मौजा मेरवास तहसील जायल के खसरा नं. 14 ,202, 208, 370, 372, 123 अपीलान्ट के पुश्तैनी कब्जे काश्त एवं सहखातेदारी की भूमि है, जिसके बावजूद सहखातेदार कुनाराम को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में हस्तान्तरण/दानपत्र करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था इसके बावजूद कुनाराम द्वारा उक्त सम्पूर्ण भूमि जरिये दानपत्र सं. 04.06.2013 के रेस्पोडन्ट संख्या 1 के पक्ष में कर दी जो प्रभावशुन्य है तथा उक्त नामान्तरण निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट मय हर्जा–खर्चा स्वीकार की जावे तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा रेस्पोन्ट संख्या 1 के पक्ष में गैर कानूनी तौर पर स्वीकृत विवादास्पद नामान्तरकरण संख्या 724 दिनांक 05.07.2017 को निरस्त किये जाने आदेश प्रदान करावे।

अपीलान्ट की अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के विरूद्ध दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तथा ग्राम पंचायत धारणा से नामान्तकरण अपील के संबंध बैठक कार्यवाही रजिस्टर तलब हेतु तहरीर जारी की गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका ने वकालातनामा पेश किया जो सामिल मिसल है। ग्राम पंचायत धारणा पंचायत समिति नामान्तकरण संबंधी बैठक कार्यवाही रजिस्टर प्राप्त होने पर मूल रिकॉर्ड से मिलान किया गया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने नामान्तरकरण अपील के संबंध में जवाब पेश किया जो सामिल पत्रावली है। वकील रेस्पोडेन्ट ने उक्त अपील गलत तथ्यों पर पेश करने का जिक्र करते हुये तथा कुनाराम को पक्षकार नहीं बनाये जाने का जिक्र करते हुये बताया कि उक्त भूमि बढेर की नहीं है कुनाराम ने अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नं. 14, 202, 208, 370, 372 में

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

अपना हिस्सा तथा खसरा नं. 123 का सम्पूर्ण हिस्सा दिनांक 04.06.2013 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बस्तीराम को दान कर दिया है। अपीलान्ट ने जो प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी. एक्ट में पेश किया व खारिज होने पर उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया। जो सही है। दानपत्र दिनांक 04.06.2013 को खारिज किये जाने बाबत् सिविल कोर्ट में कोई कार्यवाही/दावा पेश नहीं किया, जबकि दानपत्र के संबंध में अपीलान्ट को शुरू से ही जानकारी थी। यदि उक्त दानपत्र प्रभावशुन्य होता तो अपीलान्ट द्वारा सिविल न्यायालय में वाद क्यों नहीं किया गया। राजस्व वाद संख्या 118/2013 भी दिनांक 06.06.2013 को दानपत्र दिनांक 04.06.2013 होने के बाद किया। वाद संख्या 118/2013 में जो स्थगन प्राप्त किया गया वह अभी विचाराधीन है। पहले का कोई प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं है। कुनाराम द्वारा अपने हिस्से की भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हिस्से में किया गया दानपत्र विधिसम्मत् है व सही है कतई शून्य नहीं है।

वकील रेस्पोडेन्ट आगे जवाब में अंकित किया कि अपीलान्ट नेनाराम वगैरह ने दिनांक 16.12.215 को रेस्पोडेन्ट व उनके परिवार के साथ मारपीट की जिसके संबंध पुलिस थाना जायल में एफ.आई.आर.नम्बर 165/2015 दर्ज कराई तथा फौजदारी मुकदमा नं. 71/2016 सरकार बनाम नेनाराम वगैरह दर्ज हुआ जिसमें न्यायालय ने अपीलान्ट को दोषी मानते हुये निर्णय दिनांक 22.05.2018 को हो गया। वकील रेस्पोडेन्ट ने आगे जवाब में बताया कि माननीय न्यायालय हाजा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 59/2013 दिनांक 09.07.2014 खारीज होने से ही नामान्तरण संख्या 723 व 724 ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.07.2017 के पास किया।

वकील रेस्पोडेन्ट ने आगे जवाब में अंकित किया कि दिनांक 16.06.2017 को राजस्व अपील अधिकारी नागौर में अपीलान्ट ने अपील पेश कि जो नामान्तकरण स्वीकृति दिनांक से पहले पेश किया, जिसमें भी दिनांक 28.06.2017 तक स्थगन आदेश नहीं दिया गया। अपीलान्ट माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी संख्या 3920/2017 आशाराम बनाम कुनाराम पेश करना तथा दिनांक 06.07.2017 को स्थगन प्राप्त करना बता रहे है, जबकि नामान्तकरण संख्या 723 व 724 दिनांक 05.07.2017 को पास किया गया अतः नामान्तकरण स्वीकृति दिनांक तक किसी प्रकार स्थगन आदेश नहीं था अतः उक्त नामान्तकरण गैर कानूनी कैसे हुआ।

वकील रेस्पोडेन्ट ने आगे जबाव में कथन किया कि अपीलान्ट उक्त नामान्तकरण मिली भगत करके स्वीकृत करना बता रहे है तथा कुनाराम को इस नामान्तरण अपील में पक्षकार भी नही बनाया गया है। नामान्तकरण प्रक्रिया एक सम्मरी प्रोसेडिंग है, यदि राजस्व वाद संख्या 118/2013 अनवान आशाराम वगैरह कुनाराम वगैरह है तो उसके निर्णय से ही नामान्तकरण संख्या 724 पर प्रभाव हो जायेगा। उक्त नामान्तकरण संख्या 724 दानपत्र के आधार पर स्वीकृत किया गया है जो विधिसम्मत् है तथा दानपत्र/पंजीयन दस्तावेज के आधार पर नामान्तकरण करना रजिस्ट्रैशन एक्ट अनुसार आवश्यक है। तथा बैचान,

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

हस्तान्तरण तथा दानपत्र के निरस्तीकरण के संबंध में वाद सिविल न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा किया जाना चाहिऐं। उक्त नामान्तरकण अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुये, किसी प्रकार का स्थगन नहीं होने तथा बाद जांच पटवारी हल्का तथा भू.अ. निरीक्षक के आम सभा में दिनांक 05.07.2017 को पास किया गया। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण अपील निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत नहीं करने तथा गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किये जाने से काबिले खारिज है। अतः नामान्तरकरण अपील हर्जा खर्चा 20000/– रेस्पोडेन्ट को दिये जाने के आदेश सहित खारिज की जावे ।

चूंकि नामान्तकरण अपील फिस्कल प्रोसेडिंग का प्रकरण है तथा ग्राम पंचायत से मूल रिकॉर्ड प्राप्त हो चुका है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा जवाब भी अपील के संबंध में प्रस्तुत कर दिया है जिससे प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से वकुलाय की सहमति पर बहस हेतु नियत की गई।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम पर वकील अपीलाण्ट की बहस सुनी गयी वकील अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराया और अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 724 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता अपीलाण्ट की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील व अपीलाधीन म्यूटेशन संख्या 724 व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 द्वारा पेश द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण म्याद के बिन्दु की पूर्ति कर रहा है। मिसल वास्ते बहस अन्तिम नियत की गई।

दौराने बहस अधिवक्ता वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये दलीलें दी तथा बताया कि अपीलार्थी मौजा मेरवास तहसील जायल के खसरा नं. 14 ,202, 208, 370, 372, 123 अपीलान्ट के पुश्तैनी कब्जे काश्त एवं सहखातेदारी की भूमि के संबंध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया राजस्व वाद व स्थगन प्रार्थना पत्र आज दिन विचाराधीन है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष निगरानी 3920/2017 आशाराम बनाम कुनाराम, बस्तीराम पेश करने पर स्थगन आदेश 06.07.2017 को पारित कर वादग्रस्त भूमि को हस्तान्तरण, बैचान, दानपत्र नहीं करने तथा राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् जारी किये गये। उक्त स्थगन आदेश के बावजूद कुनाराम द्वारा जरिये पंजीबद्ध दानपत्र के दिनांक 04.06.2013 के रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा मिलीभगत करके गैर कानूनी तौर पर उक्त नामान्तकरण संख्या 724 ग्राम पंचायत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बस्तीराम के पक्ष में स्वीकृत किया गया। जो प्रभावशुन्य है तथा उक्त नामान्तरण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट मय हर्जा–खर्चा स्वीकार की जावे तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा रेस्पोन्ट संख्या 1 के पक्ष में गैर कानूनी तौर पर स्वीकृत विवादास्पद नामान्तरकरण संख्या 724 दिनांक 05.07.2017 को निरस्त किये जाने आदेश प्रदान करावे।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल जिला नागौर

Scanned with CamScanner

वकील अपीलान्ट ने आगे बहस में बताया कि नामान्तकरण अन्दर मियाद है फिर भी धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन पत्र पृथक से उक्त उक्त नामान्तकरण व आदेश से क्षुब्द होकर अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत धारा द्वारा दिनांक 05.07.2017 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 724 को विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जावे। साथ ही खर्चा मामला व अन्य दादरसी जो लाभार्थ अपीलांट हो वह अलग से अपीलार्थी को दिलाये जाने के आदेश प्रदान करे।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दौराने बहस अपीलान्ट की दलीलों का खण्डन करते हुये उक्त अपील गलत तथ्यों पर पेश की है तथा कुनाराम को पक्षकार नहीं बनाये जाने का कथन किया तथा उक्त भूमि बढेर की नहीं होना बताया। कुनाराम ने अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नं. 14, 202, 208, 370, 372 में अपना हिस्सा तथा खसरा नं. 123 का सम्पूर्ण हिस्सा दिनांक 04.06.2013 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बस्तीराम को दान कर दिये जाने पर अपीलान्ट द्वारा विवादग्रस्त खसरा पर प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट में पेश किया व खारिज होने पर उक्त नामान्तरकरण तस्दीक किया गया। जो सही है।

वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट को दानपत्र दिनांक 04.06.2013 को खारिज किये जाने बाबत् सिविल कोर्ट में कोई कार्यवाही/दावा पेश करा चाहिऐ जबकि दानपत्र के संबंध में अपीलान्ट को शुरू से ही जानकारी थी। यदि उक्त दानपत्र प्रभावशुन्य होता तो अपीलान्ट द्वारा सिविल न्यायालय में वाद क्यों नहीं किया गया। राजस्व वाद संख्या 118/2013 भी दिनांक 06.06.2013 को दानपत्र दिनांक 04.06.2013 होने के बाद किया। कुनाराम द्वारा अपने हिस्से की भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हिस्से में किया गया दानपत्र विधिसम्मत् है व सही है कतई शून्य नहीं है।

वकील रेस्पोडेन्ट आगे बहस में कथन किया कि अपीलान्ट नेनाराम वगैरह ने दिनांक 16.12.215 को रेस्पोडेन्ट व उनके परिवार के साथ मारपीट की जिसके संबंध पुलिस थाना जायल में एफ.आई.आर.नम्बर 165/2015 दर्ज कराई तथा फौजदारी मुकदमा नं. 71/2016 सरकार बनाम नेनाराम वगैरह दर्ज हुआ जिसमें न्यायालय ने अपीलान्ट को दोषी मानते हुये निर्णय दिनांक 22.05.2018 को हुआ।

वकील रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट की दलीलों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि दिनांक 16.06.2017 को राजस्व अपील अधिकारी नागौर में अपीलान्ट ने जो अपील पेश कि वो नामान्तकरण स्वीकृति दिनांक से पहले की थी, जिसमें भी दिनांक 28.06.2017 तक स्थगन आदेश नहीं दिया गया। जिसे व्यथीत होक अपीलान्ट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी संख्या 3920/2017 आशाराम बनाम कुनाराम पेश की तथा दिनांक 06.07.2017 को स्थगन प्राप्त करना बता रहे है, जबकि नामान्तकरण संख्या 723 व 724 दिनांक 05.07.2017 को पास किया गया अतः नामान्तकरण स्वीकृति दिनांक तक किसी प्रकार स्थगन आदेश नहीं था अतः उक्त नामान्तकरण गैर कानूनी कैसे हुआ।

सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)
जायल.जिला नागौर

Scanned with CamScanner

वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में बताया कि नामान्तकरण प्रक्रिया एक सम्मरी प्रोसेडिंग है, यदि राजस्व वाद संख्या 118/2013 अनवान आशाराम वगैरह कुनाराम वगैरह विचराधीन है तो उसके निर्णय से ही नामान्तकरण संख्या 724 पर प्रभाव हो जायेगा। उक्त नामान्तरकण अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुये, किसी प्रकार का स्थगन नहीं होने तथा बाद जांच पटवारी हल्का तथा भू.अ. निरीक्षक के आम सभा में दिनांक 05.07.2017 को पास किया गया। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण अपील निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत नहीं करने तथा गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किये जाने से काबिले खारिज है। अतः नामान्तरकरण अपील हर्जा खर्चा 20000/– रेस्पोडेन्ट को दिये जाने के आदेश सहित खारिज की जावे।

ग्राम पंचायत धारणा द्वारा ग्राम पंचायत बैठक दिनांक 05.07.2017 में प्रस्ताव संख्या का मूल से मिलान किया जिससे नामान्तकरण संख्या 724 की ताईद हुई।

हस्तगत अपील में वकील रेस्पोडेन्ट के कथनानुसार कि प्रकरण हाजा से संबंधित विवादग्रस्त खसरा नं. 14 ,202, 208, 370, 372, 123 के संबंध में अधीन धारा 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद न्यायालय हाजा में चल रहा है। जिसका निस्तारण बाद साक्ष्य गुणावगुण पर किया जाना है, जबकि नामान्तरकरण एक Fiscal Proceeding है। जिसमें सक्षम अधिकारी से पंजीयन दस्तावेजात, किसी खातेदार की मृत्यु हो जाने पर उसके विधिक वारिसान का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है, न कि नवीन घोषणा की जाती है।

पत्रावली में वकुलाय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, ग्राम पंचायत के मूल रिकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नामान्तकरण अपील में ग्राम पंचायत धारणा द्वारा नामान्तकरण संख्या 724 दिनांक 05.07.2017 को बस्तीराम के पक्ष में निस्पादित दानपत्र दिनांक 04.6.2013 के आधार पर किया गया है तथा इस दिनांक को स्थगन आदेश प्रभावी नहीं था। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 06.07.2017 को जारी हुआ है। इस प्रकरण में बस्तीराम के पक्ष में किया गया दानपत्र दिनांक 04.06.2013 उचित है अथवा नहीं यह बिन्दू मूल वाद संख्या 118/2013 अनुवान आशाराम बनाम कुनाराम अधीन धारा 53, 88, 188 राज.का.अधि. में साक्ष्य उपरान्त गुणावगुण के आधार पर निस्तारित होगा।

उपरोक्त विवेचन, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् एवं ग्राम पंचायत के मूल रिकॉर्ड से मिलान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत धारणा द्वारा दिनांक 05.07.2017 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में निस्पादित दानपत्र के आधार पर तथा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 06.07.2017 नामान्तरकरण स्वीकृति दिनांक 05.07.2017 को प्रभावी नही होने से स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण संख्या 724 उचित है, तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त नामान्तकरण अपील स्वीकार योग्य नहीं होकर खारिज योग्य प्रतीत होती है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
नजायल जिला नागौर

Scanned with CamScanner

– : : आदेश : :–

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण अपील अधीन धारा 75 आर.एल.आर. विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 724/05.07.2017 ग्राम पंचायत धारणा पंचायत समिति जायल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में निस्पादित दानपत्र दिनांक 04.6.2013 के आधार पर तथा नामान्तरकरण स्वीकृति दिनांक 05.07.2017 को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 06.07.2017 प्रभावी नही होने से स्वीकृत किया गया जो कि न्यायसंगत है। अतः अपीलान्ट की उक्त अपील अधीन धारा 75 आर.एल.आर एक्ट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

यह आदेश आज दिनांक 31/03/2024 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

31/03/2024
(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल